11/04/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। मूल वादपत्र खारिज होने से प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का कोई औचित्य शेष नहीं है। अत: प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। स्थगन आदेश [illegible] की रैनवाल को सूचनार्थ इस बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner